



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय  
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण  
सेवा भवन, आर.के.पुरम्  
नई दिल्ली-110066.

सं०-19/3/2015-प्रशा-I (के०वि०प्रा०)

दिनांक 12.09.2022

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु की प्राप्ति के फलस्वरूप दिनांक 30.09.2022 (अपरान्ह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, अतः इनका नाम दिनांक 01.10.2022 से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्टाफ गणना में नहीं गिना जायेगा।

क्र०स०	नाम (श्री)	पदनाम / प्रभाग
1.	रविन्द्र गुप्ता,	मुख्य अभियन्ता (पी०एस०पी०ए०-II), के०वि०प्रा०

*Rakesh Kumar*  
12/9/22  
(राकेश कुमार)

उप निदेशक(का०)

प्रतिलिपि :-

1. कार्यालय आदेश फोल्डर ।
2. वेतन एवं लेखा कार्यालय, के०वि०प्रा०।
3. अनुभाग अधिकारी, रोकड-I (दो प्रतियों में) के०वि०प्रा०।
4. प्रधान निजि सचिव, अध्यक्ष, / सदस्य, (पी०) / (टी०) / (पी०एस०) / (जी०ओ०डी०) / (ई०&सी०), के०वि०प्रा०।
5. सचिव, के०वि०प्रा०।
6. निदेशक, (प्रशा०) / (सतर्कता), / उप सचिव, (बजट एवम लेखा), के०वि०प्रा०।
7. अवर सचिव, (बजट एवम लेखा) / अवर सचिव, (जी०एस०), अवर सचिव, (सतर्कता), / उप निदेशक (टी०एस०) / सहायक निदेशक (राजभाषा) / ए०एस०ओ० (पुस्तकालय) के०वि०प्रा०।
8. सभी प्रशासनिक विंग, के०वि०प्रा०।
9. श्री रविन्द्र गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, के०वि०प्रा० से अनुरोध है कि के.वि.प्रा. के सभी संबंधित प्रभागों/अनुभागों से बेबाकी प्रमाण पत्र ले तथा ताकि सेवा निवृत्ति के पश्चात सम्पूर्ण भुगतान अनुकूल समयावधि प्रदान किये जा सकें अतः प्रशासन-I अनुभाग में प्रस्तुत करें।
10. उप निदेशक (प्रोटोकॉल), के०वि०प्रा०।
11. अवर सचिव, (प्रशा०) विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
12. श्री सचिन, एवम श्री विजय कुमार, ए०एस०ओ०, प्रशा०-I, के०वि०प्रा०।
13. सेवा पंजिका/ निजि मिसिल संबंधित अधिकारी।